

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
केस संख्या विराटनगर (जयपुर)



मन् (न को) २५/५ बनाम मानगण को २५

4/2012

प्रार्थना पत्र

क्रम संख्या **दिनांक आरक्षण या कार्यवाही** आज्ञा विस्तृत रूप से

२२१४ वरुण लाल उर्फ अशार्थ सं. १७ से २० को रजिस्टर्ड समान तलखाना फेरा किया गया जारी किया गया। वरुण लाल पावली एडिस्टर्ड समान हेतु दिनांक २१-३-१८ को फेरा होतक तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

२१-३-१८ वकील उममयश उर्फ प्राम नदी उर्फ वरुण लाल रजिस्टर्ड पावली खीर हेतु दिनांक २५-४-१८ को फेरा हो।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

२५४१० वरुण लाल उर्फ गत आदेश की पालना के पगवली दिनांक १३-६-१८ को फेरा होतक तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मन् (न को)

मानगण

१३-६-१८ पगवली राजसूय लोके अदालत न्याय आपके इत २०१८ केस आदेश के फेरा हुआ। मूलवाद व प्रस्तुत प्रार्थना का अणलोकन किया गया जिससे जानकारी प्राप्त हुई कि अशार्थ सं. १७, १८, १९, २०, २३ के समान तलखाना फेरी के उपपेरे प्राप्त हुए इसकारण आदेश पालना न ही किया जा सके है तथा तशीवी अशार्थिया

नि. शि. २२

मसुदा का फद अहकाम

सुपरीफ आधिकारी
विशाल नगर (जयपुर)

बनाम

नाका का

प्राचीन पत्र

4/20/19

विशेष वि

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

22/4 की रजिस्टर्ड नसीब
 तारीखी मसुदा सं. 22/5, व
 24/6 की तारीखी खं पर नया
 इन्काम है दुम्ही है मजमाह
 आम के उक्त तारीखी मसुदा
 को मसुदा बास् बा आवाज
 लावापी गई इनकी नफ ले
 कोई उपरीमत नही हुआ है।
 अतः इनके विक्रम एक पक्षीय
 कार्यवाही आम के लापी जाली
 है। मसुदा सं. 1 एम 14 का पूर्व
 मसुदा पेच है युकाई। प्रकृत प्रमाण
 का अकलोकन का गुणावगुण
 व विक्रम के सुलभित सिद्धान्तो
 पर मनन किया गया। युकि प्रमाण
 के दिनांक 20-3-12 को अन्तर्गत
 आम्नापी विशेषाज्ञा आदेश जारी
 किया जा युकाई। अतः उपपक्षो
 को नफेसला गुणवाद आम्नापी
 विशेषाज्ञा से पाबन्द किया जाता
 है कि वे युकि एन. 1149/049 है,
 1150/0-50 है कुलकित 2 एका 0-99
 है। वके आम मामोद नसीब विभाग
 की मौका व राजस्व रिपोर्ट की पचासी
 बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है
 पचासी फिसल युमा एम. म
 है कम से मिथि मजमाह आम के
 पुनापा गया।



पीठासीन अधिकारी
 सार्वभूमि लोक अदालत